सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की धारा–4 (1) ख (**iv**)

मैनुअल संख्या–4

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियॉ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583–ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून– 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई–मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें ।

मैनुअल संख्या–4

1. प्रस्तावित कार्यो / सेवाओं की प्रकृति

ब्रिडकुल उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम है जिसमे उत्तराखण्ड सरकार द्वारा शासकीय निर्माण कार्यो के सम्पादन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम वर्तमान में ब्रिडकुल का गठन किया गया था जिसमे विभिन्न विभागों द्वारा अपने अवस्थापना एंव निर्माण सम्बन्धि कार्य ब्रिडकुल को आवंटित किये जाते है। जिसको ब्रिडकुल द्वारा ई–निविदा के माध्यम से निविदा जारी करते हुए कार्यो का सम्पादन किया जाता है। सेवाओं की प्रकृति निर्माण कार्यो के साथ साथ सेवा प्रदाता के रूप में भी विस्तृत है।

2. कार्यों/ सेवा वितरण के लिए मानदण्ड/मानक अभिलेख विवरण जिसका उल्लेख किया जाना है।

निगम द्वारा कार्यों के सुगम सम्पादन हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार जारी किए जाने वाले कार्यालय आदेशों के आधार पर मानदण्ड स्थापित कर कार्यों को सम्पादित किया जाता है। परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु उत्तराखण्ड शासन व विभिन्न निगमों द्वारा बनाए गये सुस्पष्ट प्रक्रिया तथा मानक स्थापित हैं, जिनको समय–समय पर आवश्यकतानुसार अंगीकृत किया जाता है।
निगम की विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संपादन हेतु विभिन्न प्रचलित मैनुअल/नियमावली जैसे कर्मिक सेवा नियमावली, भंडार नियमावली, कार्य स्थल अनुबन्ध नियमावली, लेखा नियमावली, मानव संसाधन नियमावली इत्यादि का अनुसरण किया जाता है।

3. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है

ब्रिडकुल उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम होने के कारण उत्तराखण्ड सरकार की एक कार्यदायी संस्था है जिसको कार्य उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से आवंटित होते है जिसमें ई–निविदा के माध्यम से निविदाए आमंत्रित की जाती है उक्त निविदा में प्रतिभाग किए जाने हेतु योग्य निविदा दाता उत्तराखण्ड की साईट (uktenders.gov.in and bridcul.com) के माध्यम से पहॅुचा जा सकता हैं।

4. लक्ष्य प्राप्त करने की समय–सीमा

कार्यादायी संस्था नामित किये जाने वाले विभाग द्वारा (ग्राहक विभग) निर्धारित समय सीमा एंव आवंटित कार्यो को किए जाने हेतु लगने वाले उचित समय के आधार पर समय सीमा निर्धारित की जाती है जो कि कार्यो की गुणवत्ता एंव कार्य की प्रकृति के आधार पर निर्भर करती है। जिस हेतु ग्राहक विभाग के साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर MOU हस्ताक्षर किये जाते है।

5. शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

ब्रिडकुल में शिकायतें/आपत्ति साधारणतया सम्बन्धित विभाग को प्रेषित की जाती है जिसका निस्तारण यथाशीघ्र गुण–अवगुण (Merit) के आधार पर प्रचलित नियम, आदेश, शासनादेश के आधार पर लिया जाता है। ई–निविदा / निविदा से सम्बन्धित शिकायत एंव आपत्ति के सम्बन्ध में ई–निविदा / निविदा में उल्लेखित नियम एंव शर्तो के आधार पर किया जाता है।